

निविदा जमा करने की दिनांक :
20/08/2019
सुबह 11 बजे से दोप. 2 बजे तक



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

निविदा खोलने की दिनांक :
20/08/2019
दोप. 3.00 से 4.00 बजे तक

1911 ने आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी सूचना

अधोहस्ताक्षरी जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन एक्ट 2002 के अधीन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी है ने नीचे खाने के आगे वर्णित विवरण वाले ऋणियों/जमानतदारों को नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात गिरवीकृत संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। प्रतिभूतिहित प्रवर्तन एक्ट 2002 नियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत "जो कुछ है, जैसा है, जहाँ है" के आधार पर मोहरबंद निविदा द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया है। ऋणियों/जमानतदारों, बकाया ऋण, आरक्षित मूल्य एवं स्थावर संपत्तियों का विवरण निम्न है:-

ऋणी का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली संपत्ति /बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दि. कब्जा दिनांक व चूक राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि
ऋणी- श्री अजय कुमार श्रीवास्तव आत्मज राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती स्वीटी खरे	फ्लैट नं. ई-16, एचआईजी, पांचवी मंजिल, ए ब्लॉक, भूमिका रेसीडेन्सी, प्लॉट नं. 247, 248, 248-ए, 248-बी एवं 248-सी, शिरडीपुरम कालोनी, कोलार रोड, वार्ड नं. 80, तह. हुजूर, भोपाल क्षेत्रफल- 1000 वर्गफिट चर्तुसीमाएं- उत्तर-फ्लैट नं. ई-15, दक्षिण-फ्लैट नं. ई-17, पूर्व- कारिडोर एवं अन्य मकान, पश्चिम-रोड संपत्ति स्वामी - श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	04/04/2018 26/07/2018 ₹2099382/- +देय ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 18.36 लाख ₹ 183600/-

निविदा जमा एवं खोलने का स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर शाखा, गुलमोहर फोन : 7024115041

- यह कि नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गुलमोहर शाखा के पक्ष में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। नीलामी में भाग लेने की यह पूर्व शर्त है।
- आरक्षित मूल्य से कम राशि पर निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी। निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लिफाफे पर निविदा कर्ता का नाम एवं पता, प्रकरण का नाम एवं क्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण दर्शाना अनिवार्य है। निविदा में आवेदन कर्ता - अपना नाम, पता, आयु, व्यवसाय, कान्टेक्ट नं. अवश्य दें। प्रकरण का नाम संपत्ति का विवरण, बोली की राशि अवश्य लिखें। धरोहर राशि का विवरण दें। समाचार पत्र में प्रकाशित सभी शर्तें मान्य हैं लिखें। हस्ताक्षर अवश्य करें।
- यह कि अधिकतम बोली वाले का भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी द्वारा रख लिया जायेगा तथा अन्य लोगों के भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट टेण्डर के बाद वापस कर दिया जायेगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- अधिकतम बोली वाले को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, संबंधित शाखा के पक्ष में नकद/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट द्वारा बोली खुलने के 24 घंटे के अन्दर जमा कराना होगा। पूर्व में जमा की गई 10 प्रतिशत धरोहर राशि को इसमें समायोजित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार राशि जमा न करने पर 10 प्रतिशत धरोहर राशि को जप्त कर लिया जायेगा।
- अधिकतम बोली वाले को विक्रय मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 15 दिनों में जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर उक्त 25 प्रतिशत राशि जप्त कर ली जायेगी। (विक्रय (Sale) की पुष्टि होने तक में ऋणी अपना ऋण ब्याज सहित जमा कर सकता है ऐसी स्थिति में बोलीकर्ता का पैसा बिना ब्याज वापस कर दिया जायेगा।)
- संपत्ति का विक्रय बोली द्वारा "जो कुछ है, जैसा है, जहाँ है" के आधार पर तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और उसके नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा रहा है। सभी इच्छुक निविदाकर्ता स्वयं के व्यय पर उक्त संपत्तियों का निरीक्षण कर लें।
- यह कि संपत्ति के विक्रय प्रमाणपत्र (Sale Certificate) के रजिस्ट्रेशन हेतु स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन व अन्य व्यय खरीददार द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
- यह कि विक्रय प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात विधि द्वारा प्रदत्त समयावधि में उसका रजिस्ट्रेशन कराने का दायित्व खरीददार का ही होगा।
- यह कि संपत्ति पर यदि कोई शासकीय देयताएं जैसे गृह कर, जल कर, विद्युत व्यय, नामांतरण व्यय आदि बकाया हो तो वह भी खरीददार द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
- नीलामी के किसी भी खण्ड को शामिल करने एवं निकालने नीलामी निरस्त करने अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल के पास सुरक्षित है।
- यह कि संपत्ति के निरीक्षण हेतु एवं अधिक जानकारी हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, संबंधित शाखा से संपर्क करें। नीलामी विक्रय संबंधी अधिक जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
- उपरोक्तानुसार समय व तिथि पर निविदाओं का निविदाकर्ता की उपस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष खोला जायेगा। यदि कोई निविदाकर्ता उपस्थित नहीं रहता तो निविदा उसकी अनुपस्थिति में खोली जायेगी एवं इस संबंध में लिये गए सभी निर्णय निविदाकर्ता पर बंधनकारी होंगे।
- विस्तृत जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in में सरफेसी आइकॉन देखें।

दिनांक : 31-07-2019, स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी